ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBBIL/2014/66218 PP. NO.- 39-40
ISSN NO.-2347-2944
Vol.-10, No.-I, Issues-11 YEAR- June -2019

ग्रामीण समाज में प्राथमिक शिक्षा की समस्या एवं चुनौतियाँ (एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)

कंचन कुमारी

शोध छात्रा, समाजशास्त्र, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया (बिहार) भारत

Received- 19.04. 2019, Revised- 23.04. 2019, Accepted - 27.04.2019 E-mail: dr.ramnyadav@gmail.com

सारांश : *ग्रामीण समाज में प्राथमिक शिक्षा की चुनौतियाँ मानव का जीवन मोटे तौर पर दो प्रकार के पर्यावरणों में पलता है। या तो वह गाँव में रहता है या शहर में। गाँव या ग्रामीण समाजों का प्रारम्भ संभवतः उस समय से हुआ है जब से मानव अपने घुमन्तू जीवन को छोड़कर कुछ परिवारों के साथ मिलकर एक स्थान पर बसा। इस अर्थ में गांव स्थायी जीवन का परिचायक हैं। दूसरी ओर स्थायी गाँव की उत्पत्ति के साथ कृषि का भी प्रत्यक्ष सम्पर्क है। गांव का स्वरूप उसी समय वास्तव में स्पष्ट हुआ जबकि मानव को कृषि कला का ज्ञान प्राप्त हुआ। वह जमीन के साथ बस गया और एक स्थान पर रहने को बाध्य हुआ, जिससे कि स्थायी जीवन की नींव पड़ी और गांव की उत्पत्ति हुई। जब गांव बना तो मानव की संस्कृति को एक निश्चित और स्थिर आधार प्राप्त हुआ और उसे विकसित होने का अवसर मिला। इस प्रकार मानव संस्कृति का इतिहास गांव से ही प्रारम्भ होता है। इस प्रकार ग्रामीण समाज के बारे में यह कहा जा सकता है कि गांव एक ऐसा समुदाय है जहाँ कि खेती करने वाले किसान अपने परिवार के अन्य सदस्यों तथा पशुधन के साथ निवास करते हैं। लेकिन इन बातों से ग्रामीण समाज का अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होता है। प्रो.आर.एन.मुखर्जी ने गांव को निम्न ढंग से परिभाषित किया है– गाँव वह समुदाय है, जहाँ कुछ सापेक्षिक, प्राथमिक समूहों की प्रधानता, जनसंख्या का कम घनत्व और कृषि ही मुख्य व्यवसाय है।*

कुंजी शब्द – चुनौती, पर्यावरण, ग्रामीण समाज, घुमन्तु जीवन, परिचायक, प्रत्यक्ष, संस्कृति, समुदाय।

किसी भी समाज के विकास के लिए शिक्षा आवश्यक है। शिक्षा जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि इसकी व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा की शिक्षा धातु से हुई है। जिसका अर्थ है सीखना, अध्ययन करना, ज्ञान प्राप्त करना। अतः शिक्षा सीखने, अध्ययन करने अथवा ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है। महात्मा गाँधी ने शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा है कि ''शिक्षा से मेरा तात्पर्य बच्चे एवं मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का विकास करना है।

शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

1. भाषा लिखने एवं बोलने तथा व्याकरण एवं गणित का ज्ञान प्रदान करना। 2.जटिल संस्कृति को समझने के लिए ज्ञान प्रदान करना। 3. बालक में सामाजिक अनुकूलन की क्षमता उत्पन्न करना। 4. आर्थिक अनुकूलन में प्रशिक्षण देना। 5. सांस्कृतिक सुधार तथा वृद्धि में सहायता देना।

भारत एक गांव प्रधान देश है। भारत की लगभग 80 प्रतिशत जनता गांव में निवास करती है। देश की उन्नति गाँव की उन्नति पर ही निर्भर है। लेकिन भारत के गाँव अनक समस्याओं जैसे–कृषि की समस्या, पशुपालन की समस्या, उद्योग धन्धों की समस्या, आवास की समस्या, पेयजल की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, ग्रामीण बेकारी की समस्या, ऋणग्रस्तता की समस्या, अकाल और बाढ़ की समस्या, जातिवाद की समस्या, अस्पृश्यता की समस्या, शिक्षा की समस्या आदि से जूझ रही है। परिणामस्वरूप ग्रामीण समाज के प्रगति के मार्ग में उपरोक्त समस्याएँ बहुत बड़ी बाधक है।

ग्रामीण समाज में जहाँ तक प्राथमिक शिक्षा की चुनौतियों का प्रश्न है, यह संबंध में यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण भारत में व्याप्त अशिक्षा को देखते हुए यह महसूस किया गया कि देश के अधिकांश लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं तथा सामाजिक परिदृश्य से विशेषकर पिछड़ी जाति के समुदाय निरक्षर हैं। यह सबसे बड़ी चुनौती थी। इनके शैक्षणिक उत्थान के लिए संविधान निर्माताओं एवं जनता के प्रतिनिधियों ने मिलकर यह आवाज उठाई कि शैक्षिक रूप से पिछड़े समाज के लोगों को शिक्षित एवं साक्षर होने के लिए शिक्षा प्रदान करने की ऐसी व्यवस्था की जाए कि आज के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर भविष्य में शिक्षित और साक्षर होकर अच्छा नागरिक बनें। इसी उद्देश्य से संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष की आयु तक बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा प्रदान करने का राज्य ने संकल्प लिया। इस हेतु तब से प्रारम्भिक शिक्षा के लिए समय–समय पर आयोग समितियाँ एवं नीतियाँ बनी। इसके सुझाव एवं संस्तुतियों पर बच्चों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास किए गए। 1985 में आपरेशन ब्लैक एवं 1995 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत प्रारम्भिक शिक्षा के लिए बच्चों के विद्यालय प्रवेश एवं पढ़ाई के लिए कार्य किए गए। सर्वशिक्षा अभियान जो

अनुरूपी लेखक

ISSN NO.-2347-2944
Vol.-10, No.-I, Issues-11 YEAR- June -2019

प्रारम्भिक शिक्षा के लिए व्यापक कार्यक्रम है, सन 2000 से लागू होने के पश्चात बिहार में शिक्षा में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए जो इस प्रकार है–

1. राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में बच्चों की संख्या को देखते हुए तथा एक किलोमीटर की परिधि में प्रारंभिक विद्यालय खोले गए।

2. शिक्षकों की प्रशिक्षण एवं शैक्षिक अनुसमर्थन हेतु संकुल संसाधन केन्द्र एवं प्रखंड संसाधन केन्द्र स्थापित किए गए।

3. बच्चों के विद्यालय में नामांकन हेतु यह प्रयास किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे विद्यालय आए।

4. जो बच्चे विद्यालय से बाहर है उनके लिए शिक्षा की वैकल्पिक व्यवस्था में शिक्षण केन्द्र खोले गए।

5. 6–14 वर्ष के बच्चों को विद्यालय में प्रवेश एवं उसकी शिक्षा के लिए शिक्षा के अधिकार को संविधान के मूल अधिकारों में रखा गया।

सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद प्राथमिक शिक्षा के सामने कुछ चुनौतियाँ हैं, जिसकी चर्चा निम्नलिखित रूप से किया जा सकता हैः–

1. बेरोजगारी की समस्या होने के कारण बिहार राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। जब कोई समाज आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। जब कोई पिछड़ा रह जाता है क्योंकि इस समाज के 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बढ़ते–फलते बच्चों के हाथ को शारीरिक श्रम करके परिवार के अभिभावक को सहयोग करना होता है। सरकार के प्रयास के बाद ये बच्चे विद्यालय में नामांकित होने के बावजूद नियमित ढंग से विद्यालय उपर्युक्त वर्णित कारणों से नहीं जा पाते हैं। कई बच्चे कुछ समय के बाद विद्यालय छोड़ देते हैं।

2. विद्यालय एवं समुदाय के बीच पारस्परिक संबंध नहीं है। प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों का अभिभावकों से बातचीत करने एवं बच्चों की शिक्षा हेतु उनसे संबंध स्थापित करने में काफी उदासीनता है। काम की तलाश में निकले तथा स्वरोजगार में जुड़े अभिभावकों को इतना समय नहीं मिलता है कि वे विद्यालय जाकर शिक्षकों से अपने बच्चों की प्रगति के बारे में बात कर सके।

3. यह मजबूरी में अभिभावक की उदासीनता है तथा उदासीनता इस बात से भी अभिभावक को है कि विद्यालय से तुरंत रोजगार मिलने वाला नहीं है। अतः कार्य करके तुरंत आमदनी प्राप्त करने वाले लोगों की इस मानसिक सोच से उनके नजर से शिक्षा का महत्व क्षीण हो जाता है।

4. प्रत्येक विद्यालय अपनी आधारभूत संरचनाओं एवं बच्चों के लिए सारी शिक्षण सुविधाओं से युक्त होता है। अब प्रायः विद्यालयों में शिक्षकों की कमी नहीं है। फिर भी विद्यालय में गुणात्मक विकास अपेक्षित स्तर तक नहीं हो पा रहा है।

5. वाह्य प्रशासन में जिला के शिक्षा पदाधिकारी एवं अधीनस्थ कार्यक्रम पदाधिकारी आते हैं। उन पदाधिकारियों को पता नहीं है कि शिक्षा में गुणात्मक विकास के लिए विद्यालय में चल रही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 एवं बिहार पाठ्यचर्या 2008 में दिए गए सिद्धांतों के आधार पर क्या तब्दीली होनी चाहिए। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण देना आवश्यक है।

6. प्रखंड संसाधन केन्द्र एवं संकुल संसाधन केन्द्र शिक्षा की गुणवत्ता के लिए विद्यालय जाकर शिक्षकों को शैक्षिक अनुसमर्थन करने में उदासीन है।

7. कई विद्यालयों में शिक्षण सामग्री उपलब्ध नहीं है। जहाँ उपलब्ध है। वहां उनका उपयोग भी नहीं होता है जो सामग्री आसपास में है, उसका इस्तेमाल नहीं होता है।

उपरोक्त वर्णित स्थितियों का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि आजादी प्राप्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा के लिए अथक प्रयत्न किए जा रहे हैं जिससे विद्यालय में सभी बच्चे नामांकित होकर शिक्षा की गुणवत्ता के साथ ज्ञानार्जन कर साक्षर एवं शिक्षित हुए हैं। परन्तु प्रत्येक स्तर पर शैक्षिक प्रक्रिया की समझ नहीं होने के कारण शिक्षा में समस्या एवं चुनौतियाँ बरकरार है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. प्रो. सत्यमूर्ति : महात्मा गाँधी का शिक्षा दर्शन, अरूण प्रकाशन, दिल्ली
2. डॉ.जी.आर. मदनः विकास का समाजशास्त्र, विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर, दिल्ली–7, 2009
3. डॉ. गुप्ता एवं शर्मा : भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र, साहित्य भवन, आगरा, 1980
4. विश्वकर्मा मुन्नी लालः गांवों के विकास के लिये शिक्षा का स्तर सुधारना होगा, हिन्दुस्तान पटना, 21 दिसम्बर 1990
5. डॉ. हरेकृष्ण सिंहः ग्रामीण विकास और साक्षरता, मनीष प्रकाशन, प्लाट नं–26, रोहित नगर कालोनी, बी.एच.यू. वाराणसी।

*****